(भारत सरकार के राजपत्र के भाग - 1 खंड - 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक एवं लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

संकल्प

सं. 24012/8क/2003-स्था..(ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक, 04 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था(ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-I I I(अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है । कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था(ख) के तहत भी 1 जून,1999 से संशोधन किया गया ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था(ख)में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात् :-

(क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

"(ग) अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक/लेखा परीक्षा) के पद पर और 6500-10,500/-रूपए के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर भी भर्ती करना ।"

हस्ताक्षर /-

निदेशक

पाद-टिप्पणी : मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में सं39019/1/98-स्था(ख) के तहत प्रकाशित किया गया ।

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली ।